न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

बईजलास – श्री श्रीमती रजनी मीणा, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 942 / 2023
दायर दिनांक :– 27.09.2023

अनवान

कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई निवासी धान्धोला तहसील जहाजपुर हाल पत्नी माधोलाल बलाई निवासी पुराना माटुंदा रोड गॅस गोदाम के पीछे इन्द्र कॉलोनी बूंदी (राजस्थान)

प्रार्थीया.........

बनाम

2- तहसीलदार सा. जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शैतान सिंह राणावत, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 09.03.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारला पोलिया पटवार हल्का धुंवाला भु. अ. क्षेत्र कुराड़िया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में आ.न. 284, 285, 286, 287, 387, 389 कुल किता 06 रकबा 1.7241 हैक्टेयर खातेदार कैलाशी पुत्री नाथू 1/3 निवासी ग्राम धान्धोला तहसील जहाजपुर हाल पत्नी माधोलाल बलाई निवासी पुराना माटुंदा रोड गॅस गोदाम के पीछे इन्द्र कॉलोनी बूंदी, जमना देवी पत्नी मोहन 1/15, प्रेमी पुत्री हजारी 1/6, बंटी पुत्री मोहन 1/15, माया पुत्री मोहन 1/15, रेखा पुत्री मोहन 1/15, शांती पुत्री हजारी 1/6, सीमा पुत्री मोहन 1/15 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जिसमे प्रार्थीया कैलाशी पुत्री नाथू की बजाय कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई दर्ज करवाना चाहती है।

ग्राम बारला पोलिया पटवार हल्का धुंवाला भु. अ. क्षेत्र कुराड़िया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में आ.न. 284, 285, 286, 287, 387, 389 कुल किता 06 रकबा 1.7241 हैक्टेयर खातेदार पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी खातेदार कैलाशी पुत्री नाथू के नाम दर्ज है। कैलाश बाई (कैलाशी पुत्री नाथू) पुत्री नाथू बलाई उक्त वर्णित कृषि भूमी पर अबाध्य रुप से अपनें हिस्सें पर कब्जा कास्त होकर अबाध्य रुप से लगातार कास्त करवाती आ रहां हैं। प्रार्थीया के नाम विरासत से खाता रदोबदल के समय कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई की बजाय कैलाशी पुत्री नाथू बलाई कर दिया जो कि राजस्व अधिकारीयो ने बिना विधीक जानकारी कियें कैलाशी पुत्री नाथू बलाई नाम सें खाता खोला गया जो विधिक भूल रही जब की वादीया के समस्त सरकारी दस्तावेंज जेंसें राशनकार्ड, जनाधार कार्ड आधारकार्ड, बैंक पासबुक इत्यादी में सही नाम कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई दर्ज है। राजस्व रेकार्ड मे कैलाशी पुत्री नाथू कें नाम से खाता खोला गया जिससे वादीया कों सरकार से प्राप्त किसान सहायता योंजना व अन्य मदद से वंचित रहना पड़ता है।

वादीया पैंरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी पर कृषि ऋण वास्तें बैंक से सर्म्पक किया तों राजस्व रेकार्ड मे कैलाशी पुत्री नाथू नाम होंने व जबकी पहचान हेतु समस्त सरकारी दस्तावेजों में जेंसें राशनकार्ड आधारकार्ड बैंक पासबुक इत्यादी में कैलाश बाई पुत्री नाथू होने से बैंक नें कृषि भूमी पर कृषि ऋण देने से मना कर दिया जिससें वादीया कारण उत्पन होकर जारी हैं। वादीया द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व किसी प्रकार दाद अनुतोष नही चाहा हैं। केवल वादीया कैलाशी पुत्री नाथू की बजाय कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई करवाना चाहती है। उक्त वर्णित कृषि भुमी मे वादी का नाम कैलाशी पुत्री नाथू बलाई के नाम से खाता खोला गया जिसें वादीया कैलाशी पुत्री नाथू की बजाय कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई दर्ज करवाना चाहती है। अतः राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई दर्ज कियें जाने की राजस्व रेकार्ड में ...ई में कैलाशी पुत्री नाथू की बजाय कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई दर्ज कियें जाने की राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनाक 26.10.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है, जिसमें प्रार्थिया के दस्तावेज जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, , बैंक पासबुक में प्रार्थिया का नाम कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई होना बताया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में कैलाशी पुत्री नाथू बलाई की बजाय कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई शुद्व किया जाना उचित बताया गया।

वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का नाम कैलाशी पुत्री नाथू बलाई की बजाय कैलाश बाई पुत्री नाथू बलाई नाम में शुद्धि कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थीया का नाम कैलाशी पुत्री नाथू की बजाय कैलाश बाई पुत्री नाथू जाति बलाई दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है, जिससें न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बारला पोलिया पटवार हल्का धुंवाला भु. अ. क्षेत्र कुराड़िया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में आ.न. 284, 285, 286, 287, 387, 389 कुल किता 06 रकबा 1.7241 हैक्टेयर में खातेदार कैलाशी पुत्री नाथू की बजाय कैलाश बाई पुत्री नाथू जाति बलाई दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.03.2024
तालुका विधिक सेवा समिति जहाजपुर
बैंच संख्या–01

प्रकरण संख्या	:–	**942 / 2023 रा0अधि0**
अनवान	:–	**कैलाश बाई बनाम तहसीलदार जहाजपुर**
अन्तर्गत धारा	:–	136

दिनांक:– 09.03.2024

आज यह पत्रावली प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने के कारण आज पेश हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में संबन्धित न्यायालय में प्रार्थिया के अधिवक्ता श्री शैतान सिंह राणावत ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में तहसीलदार जहाजपुर व पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त होना जाहिर किया है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। नियमानुसार डिकी (आदेश)पृथक से जारी हो।

पत्रावली प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में फैसलशुमार होकर बाद आवश्यक तकमील दाखिल दफतर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

3/1/24

पत्रावली [illegible] निवादी उपस्थित
है/नहीं है।
आज [illegible] राजकार्य में
व्यस्तता [illegible]
अतः पत्रावली [illegible] 08/4/24 [illegible] पेश हो।

रीडर
न्यायालय एस.डी.ओ., जहाजपुर

7/3/24

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली तलबी का[illegible] किया गया। पत्रावली निर्णीत है तलब की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट शामिल पत्रावली है जिसका अवलोकन करने पर अब पत्रावली का निर्णय किया जाना उचित है। अतः पत्रावली उचित आदेश वास्ते माननीय लोक अदालत में दिनांक 09/03/2024 को पेश हो।

[illegible]

09/3/24 पत्रावली पेश हुई। प०